न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

प्रकरण सं.: 22/14/अपील

लच्छी देवी पुत्री सोनाराम उर्फ सोनियां उम्र 70 साल जाति जाट नि0 ग्राम गनोड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

अपीलार्थीनी

ब ना म

1. गोपीराम } पुत्रगण सोनाराम उर्फ सोनियां
2. भैरूराम }
3. सुन्दर देवी पुत्री सोनाराम उर्फ सोनियां (फौत)
   3/1 फूलचन्द }पुत्रगण सुन्दरदेवी } पुत्री सोनाराम उर्फ सोनिया पत्नी
   3/2 बीरबल } } देवाराम जाति जाट नि. बराल
   3/3 रामनाथ } } तहसील व जिला सीकर
   3/4 झमरी पुत्री सुन्दरदेवी }
4. अणची देवी } पुत्रीगण सोनाराम उर्फ सोनियां
5. मोहनी देवी }
6. सजना देवी }
7. छोटी देवी }

   समस्त जाति जाट निवासीगण गनौड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
8. ग्राम पंचायत, गनौड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, गनौड़ा पं.स. दांतारामगढ जिला सीकर

–रेस्पोंडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 341 दिनांक 15.06.1987
द्वारा ग्राम पंचायत, गनौड़ा प.सं. दांतारामगढ

उपस्थिति :

1. श्री शिवपालसिंह वकील अपीलार्थीनी की ओर से
2. श्री राजेन्द्रसिंह रिणवां, वकील, वकील रेस्पो. सं. 1, 4 ता 7, 3/1 ता 3/4 की ओर से

निर्णय दिनांक– 08.12.2014

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थीनी एवं रेस्पो. सं. 1 ता 7 की वंशावली निम्न प्रकार से है–

सोनाराम उर्फ सोनियां पुत्र दुलाराम

↓

गोपीराम	भैरूराम	रामदेवा	सुन्दरदेवी	लच्छीदेवी	अणचीदेवी	मोहनीदेवी	सजनादेवी	छोटीदेवी
पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री
रेस्पो.1	रेस्पो.2	(नाऔलाद फौत)रेस्पो.3		अपीलांट	रेस्पो. 4	रेस्पो. 5	रेस्पो. 6	रेस्पो. 7

विवादित भूमियां पैत्रिक कृषि भूमियां पुराने खसरा नं. 74 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, 82/2 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, 110/2 रकबा एक बीघा 11 बिस्वा, 163 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, 177 रकबा 3 बिस्वा, 179 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, 419 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा, 472 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, 512 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, 509/2 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा किता 10 कुल रकबा 58 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम गनौड़ा तहसील

दांतारामगढ जिला सीकर के तन में अवस्थित रही है जिसके गत भूप्रबन्ध के दौरान नये खसरा नं. 21 रकबा 2.00 है0, 23 रकबा 0.27 है0, 499 रकबा 1.46 है0, 488 रकबा 0.04 है0, 484 रकबा 0.05 है0, 100 रकबा 1.00 है0, 101 रकबा 5.91 है0, 501 रकबा 1.67 है0, 1032 रकबा 1.86 है0, 1035 रकबा 1.30 है0, 30 रकबा 1.62 है0 एवं ख.नं. 1066 रकबा 2.01 है0 राजस्व रिकार्ड में कायम किये गये है। उपरोक्त भूमियों का पूर्व में अपीलार्थीनी का पिता सोनाराम उर्फ सोनियां पुत्र दुलाराम काश्त किया करता था तथा इसी के नाम उपरोक्त भूमियों की खातेदारी दर्ज थी। सोनाराम उर्फ सोनियां की मृत्यु के पश्चात् अपीलार्थीनी एवं रेस्पो. सं. 1 ता 7 एवं इनका भाई रामदेवा वारिसान काबिज काश्त करते चले आ रहे थे। रामदेवा नाऔलाद फौत हो चुका है इसके पश्चात् अपीलार्थीनी एवं रेस्पो. सं. 1 ता 7 काबिज काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु रेस्पो. सं. 1 व 2 व अपीलार्थीनी एवं रेस्पो. सं. 1 ता 7 के भाई रामदेवा ने अधीनस्थ ग्राम पंचायत से साजिश करके विरासत का ना.करण सं. 341 दिनांक 15.06.1987 को रेस्पो. सं. 1 व 2 तथा अपीलार्थीनी एवं रेस्पो. सं. 1 ता 7 के भाई रामदेवा ने उपरोक्त भूमियों की खातेदारी अपने अकेलों के नाम करवा ली जिसके बारे में अपीलार्थीनी को पूर्व में कोई जानकारी नहीं हो पाई। उपरोक्त ना.करण सं. 341 दिनांक 15.06.1987 तस्दीक करते समय अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने अपीलार्थीनी को सूचना व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। दिनांक 05.06.2014 को अपीलार्थीनी अपने हक हिस्से की भूमि में बरसात का समय आ जाने के कारण बा–जोत करने हेतु वादग्रस्त भूमियों पर गयी तब रेस्पो. सं. 1 व 2 ने अपीलार्थीनी को यह धमकी दी कि तुम्हारा इन भूमियों से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इन भूमियों का खाता हमारे नाम से है, वादग्रस्त भूमियों का कब्जा तुम हमें दे दो वरना तुम्हें बलात् बेदखल कर देंगे। तब अपीलार्थीनी ने जानकारी प्राप्त कर दिनांक 05.06.2014 को राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया। दिनांक 06.06.2014 को राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त होने पर उपरोक्त विरासत ना. करण सं. 341 दिनांक 15.06.1987 में अपीलार्थीनी एवं रेस्पो. सं. 3 ता 7 का नाम उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड ना.करण में नहीं होने बाबत सर्वप्रथम जानकारी हुई। जानकारी प्राप्त होकर नकलें प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 07.06.2014 व 08.06.2014 को माननीय न्यायालय का अवकाश होने तथा दिनांक 09.06.2014 को अपील तैयार करवायी जाकर यथाशीघ्र अपील प्रस्तुत की जा रही है। जानकारी के अभाव में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में अलग से भी आवेदन दफा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया जा रहा है। अपीलाधीन ना.करण सं. 341 दिनांक 15.06.1987 अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन है क्योंकि उपरोक्त ना.करण तस्दीक करने से पूर्व मृतक सोनाराम उर्फ सोनियां के सभी वारिसान को सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया। ना0करण नियम विरूद्ध एवं विधि विरूद्ध भरा होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। ना.करण तस्दीक करने से पूर्व कब्जे की कोई जांच नहीं की गई। ना.करण तस्दीक करते समय लैण्ड रिकार्डस रूल्स की कोई पालना नहीं की गई। इसलिए उपरोक्त ना. करण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थीनी ना.करण सं. 341 दिनांक 15.06.1987 द्वारा ग्राम पंचायत, गनौड़ा प.सं. दांतारामगढ जिला सीकर को निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की जावें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 3 की मृत्यु होने पर उनके का.आवेदन रेस्पो. सं. 3/1 ता 3/4 बनाये गये। रेस्पो. सं. 2, 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो. सं. 1, 3/1 ता 3/4, 4 ता 7 की ओर से वकील श्री राजेन्द्रसिंह रिणवां हाजिर हुए।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीनी व रेस्पो. सं. 1 ता 7 पूर्वज सोनाराम उर्फ सोनियां के वारिसान है लेकिन ग्राम पंचायत, गनोड़ा तहसील दांतारामगढ से साजिश कर अकेले रेस्पो. सं. 1 व 2 के नाम ना.करण तस्दीक करवा लिया जबकि अपीलार्थीनी व रेस्पो. सं. 3 ता 7 वारिसान है। इसलिए अपील अपीलार्थीनी स्वीकार की जाकर विवादित ना.करण सं. 341 दिनांक 15.06.1987 द्वारा ग्राम पंचायत, गनौड़ा निरस्त फरमाया जावें। इसके विरूद्ध वकील रेस्पो. ने बहस के दौरान वारिसान के सम्बन्ध में कोई एतराज व्यक्त नहीं किया गया न ही अपील आपतियां पेश की गई।

4. हमने वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अपील को विलम्ब से पेश किये जाने के सम्बन्ध में दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पत्र पेश किया है जिस पर एतराज नहीं किये जाने से आवेदन दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। जमाबंदी संवत् 2039 ता 42 के कॉलम में ना.करण सं. 341 दिनांक 15.06. 1987 ग्राम गनौड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात की खातेदारी सोनिया के बजाय गोपीराम, भैरूराम, रामदेवा पि. सोनाराम व मु. नारायणी बेवाह सोनाराम के नाम हि. 1/2 हि.ब. स्वीकार हुआ है। ग्राम पंचायत, गनौड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 05.05. 2014 के द्वारा मृतक सोनाराम पुत्र दुलाराम के अपीलार्थीनी व रेस्पो. सं. 1 ता 7 वारिस बताये गये है इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजियात में अपीलार्थीनी व रेस्पो. सं. 3 ता 7 का नाम छूट गया है। रामदेवा नाऔलाद फौत हो गया है तथा नारायण की मृत्यु हो चुकी है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीनी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं ना.करण सं. 341 दिनांक 15.06.1987 द्वारा ग्राम पंचायत, गनौड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर विधि अनुकूल नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वारिसान के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कर विधिवत ना0करण भरवाकर तस्दीक की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

5. यह निर्णय आज दिनांक 08.12.2014 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ